

The U.P. Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 (U.P. Act XXIV of 1953)

ARRANGEMENT OF SECTIONS

SECTIONS-

CHAPTER - I PRELIMINARY

- 1- Short title, extent and commencement
- 2- Definitions

CHAPTER – II ADMINISTRATIVE MACHINERY

- 3- Sugarcane Board
- 4- Functions of the Board
- 5- The Development Council
- 6- Functions of the Council
- 7- Casual vacancy.
- 8- Council Fund.
- 8-A- Supersession of Council
- 9- Sugar Commissioner and Cane Commissioner.
- 10- Additional, Deputy or Assistant Cane/Sugar Commissioner.
- 11- Inspectors.

CHAPTER - III SUPPLY AND PURCHASE OF CANE

- 12- Estimates of requirements.
- 13- Register of Cane-growers and Cane-growers' Co-operative Society or Societies.
- 14- Power of survey etc.
- 15- Declaration of reserved area and assigned area.
- 16- Regulation of purchase and supply of cane in the reserved and assigned areas.
- 17- Payment of cane price.
- 18- Contribution* purchase of cane.
- 19- Power to declare varieties of cane to be unsuitable for use in factories.

CHAPTER - IV MISCELLANEOUS

- 20- Tax on sale of cane.
- 21- Determination of occupier for the purposes of Section 22.
- 22- Penalties.
- 22-A- Powers of certain officers to investigate into offences punishable under this Act.
- 22-B- Duty of officers of certain departments to report offences and to assist Inspectors
- 23- Institution of proceedings.
- 24- Special powers of Magistrates.
- 25- Protection of action taken under the Act.
- 26- Repeal and saving.
- 27- Transitional provisions.
- 28- Power to make rules.

The U.P. Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953
(U.P. Act XXIV of 1953)

[As passed by the U.P. Legislature]

[Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Ganna (Poorti Tatha Kharid Viniyaman)
Adhiniyam, 1953].

[Lucknow] Dated October 9, 1953

(As amended by U.P. Acts XXI of 1956, XXII of 1956, III of 1960, XXXIV of 1961, VI of 1962, IV of 1964, XI of 1966, VI of 1971, II of 1972, VII of 1974, XXVIII of 1974, X of 1976, XXXIV of 1976, XXX of 1979, XVII of 2006, XXXIII of 2007, XXII of 2008, XXIII of 2008, VIII of 2019, V of 2021 and XXXVIII of 2021)
[As amended upto 27.12.2021]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 13, 1953 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on September 5, 1953.

Received the assent of the President on October 5, 1953 under Article 201 of the Constitution of India, and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated October 9, 1953.]

AN

ACT

To regulate the supply and purchase of sugarcane required for use in sugar ¹[Factories and Gur, Rab or Khandsari Sugar Manufacturing Units]

WHEREAS it is expedient to regulate the supply and purchase of sugarcane required for use in sugar ¹[Factories and Gur, Rab or Khandsari Sugar Manufacturing Units] and other connected matters;

IT is hereby enacted as follows:

CHAPTER 1
PRELIMINARY

Section 1.

Short title, extent and commencement.

- (1) This Act may be called the U.P. Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953.
- (2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.
- (3) It shall come into force at once.

Section 2.

Definitions.

In this Act unless there is anything repugnant in the subject or context:

- (a) "Assigned area" means an area assigned to a factory under Section 15;
- (b) ²["***"];
- (c) "Cane" means sugarcane intended for use in a factory ³[or gur, rab or khandsari sugar manufacturing unit];
- (d) "Cane Commissioner" means the Officer appointed to be Cane Commissioner under Section 9, and includes an Additional Cane Commissioner appointed under Section 10;
- (e) "Cane-grower" means a person who cultivates cane either by himself or by members of his family or by hired labour and who is not a members of a Cane-Growers' Co-operative Society;
- (f) "Cane-growers' Co-operative Society" means a society registered under the Co-operative Societies Act, 1912, one of the objects of which is to sell cane-grown by its members and includes the federation of such societies registered under Section 8 of the said Act;
- (g) "Collector" includes any person whom the State Government may, by notification appoint to exercise and perform the powers and duties of Collector under this Act;
- (h) "Council" means the Cane Development Council established under Section 5;

¹Substituted by Section 2 of U.P. Act no. III of 1960

²Omitted by U.P. Act no. XVII of 2006 with effect from 30.05.2006

³Inserted by Section 2 (1) of U.P. Act no. IV of 1964

(i) "Crushing season" means the period ¹[beginning on the 1st October in any year and ending on the 15th July next following;]

²[(i-i) "Ethanol" means anhydrous ethyl alcohol of minimum 99 percentage strength, produced directly either from sugarcane juice or B-Heavy molasses or both.

Explanation - When a sugar factory produces ethanol directly from sugarcane juice of B-Heavy molasses, the recovery rate in case of such sugar factory shall be determined by considering every six hundred litres of ethanol so produced as equivalent to one ton production of sugar;]

³[(j) "Factory" means any premises, including the precincts thereof wherein twenty or more workers are working or were working on any day during the preceding twelve months and in any part of which any manufacturing process connected with the production of sugar by means of vacuum pan process or ethanol either directly from sugarcane juice or molasses, including B-Heavy molasses, or both as the case may be, is being carried on or is ordinarily carried on with the aid of mechanical power;]

⁴[(j-i) "Gur, Rab and Khandsari Sugar Manufacturing Unit" means a unit engaged or ordinarily engaged in the manufacture or production of *gur*, *rab* or *khandsari* sugar in a reserved area, and which is capable of handling sugarcane juice produced with the aid of a crusher driven by any mechanical power;]

⁵[(j-ii) "Inspector" means any person appointed or any officer designated as inspector under Section 11;]

⁶[(k) "Occupier" in relation to a factory or a *gur*, *rab* or *khandsari* Sugar Manufacturing Unit, means the person (including a company, firm or other association of individuals) who, or the authority which, owns or has the ultimate control over the affairs of such factory or unit and where the said affairs are entrusted to a Managing Agent or a Director or other Officer of such person or authority, includes such Managing Agent, Director or other officer;

Explanation - Notwithstanding that the affairs of a factory or unit are entrusted to a Managing Agent or a Director other officer, the liability under Section 17 of the person, who or the authority which owns or has the ultimate control over the affairs of the factory or unit shall remain unaffected;]

(l) "Prescribed" means prescribed by rules;

(m) ⁷[* * *]

⁸[(n) "Reserved area" shall mean the area reserved for a factory under an Order for reservation of Sugarcane areas made under Rule 125-B of the Defence of India Rules, 1962, and when no such order is in force, the area specified in an order made under Section 15;]

(o) "Rules" means a rule made under this Act;

(p) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh; and

(q) "Sugar Commissioner" means the officer appointed to be Sugar Commissioner under Section 9 and includes ⁹[and Additional Sugar Commissioner] appointed under Section 10.

¹ Substituted by Section 2 of U.P. Act no. VI of 1971 with effect from 30.06.1970

² Inserted by Section 2(a) of U.P. Act no. XXIII of 2008 with effect from 29.08.2008

³ Substituted by Section 2(b) of U.P. Act no. XXIII of 2008 with effect from 29.08.2008

⁴ Added by Section 3 (1) of U.P. Act no. III of 1960

⁵ Inserted by Section 2 of U.P. Act no. XXXIV of 1976 with effect from 18.11.1976

⁶ Substituted and be deemed always to have been substituted by Section 2 (a) of U.P. Act no. VII of 1974

⁷ Omitted by Section 2 (b) of U.P. Act no. VII of 1974 with effect from 21.12.1973

⁸ Substituted and and be deemed always to have been substituted by Section 2(2) of U.P. Act no. IV of 1964

⁹ Inserted by Section 2(3) of U.P. Act no. IV of 1964 with effect from 12.02.1964

CHAPTER II ADMINISTRATIVE MACHINERY

Section 3. ¹[*] Sugarcane Board.**

Section 4. ²[*] Functions of the Board.**

Section 5. The Development Council.

(1) There shall be established for the reserved area of a factory a Cane Development Council (hereinafter called the Council) which shall be body corporate by the name of such area or such other name as may be prescribed, having perpetual succession, and subject to such restrictions or qualifications as may be imposed and subject to such restrictions or qualifications as may be imposed under this Act or any other enactment, vested with the capacity of suing and being sued in its corporate name, of acquiring, holding, administering and transferring property both movable and immovable, and of entering into contracts :

Provided that where the Cane Commissioner so directs the Council may be established for a larger or smaller area than the reserved area of a factory.

(2) The area for which a Development Council is established shall be called a zone.

³[(3) The Council shall consist of the following, namely:-

(i) two representatives of the sugar factory concerned, to be nominated by the occupier;

⁴{(ii) seven representatives of the Cane-grower's Co-operative Societies functioning in the reserved area, to be elected by the members of the Committees of Management of such societies from amongst the members of such societies;

Provided that out of seven representatives one representative shall be from the persons belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and one from the persons belonging to the Other Backward Classes and one representative shall be a woman."}

(iii) one representative of the licensed power driven *khandsari* manufacturing units in the reserved area, to be elected by their owners;

(iv) the District Cane Officer;

(v) the Sugarcane Protection Inspector;

⁵{(vi) the Seed Production Officer;}

(vii) the Senior Cane Development Inspector, who shall be *ex officio* Member-Secretary.

(3-A) The members of the Council shall elect ⁶[from among the five representatives] referred to in clause (ii) of sub-section (3) a person to be the Chairman of such Council;]

⁷[(4) The term of council shall be co-terminus with the term of Cane Co-operative Society and upon its expiry the council shall be re-constituted in accordance with the provisions of sub-section (3).]

¹ Omitted by Section 3 of U.P. Act no. XVII of 2006 with effect from 30.05.2006

² Omitted by Section 3 of U.P. Act no. XVII of 2006 with effect from 30.05.2006

³ Added by Section 2(a) of U.P. Act no. X of 1976 with effect from 17.04.1976

⁴ Substituted by Section 2(a) of U.P. Act no. XXII of 2008 with effect from 29.08.2008

⁵ Substituted by Section 2(1)(b) of U.P. Act no. XXX of 1979 with effect from 14.09.1979

⁶ Substituted by Section 2(1) of U.P. Act no. XXX of 1979 with effect from 14.09.1979

⁷ Substituted by Section 2(b) of U.P. Act no. XXII of 2008 with effect from 29.08.2008

(5) Where a Council is dissolved the following consequences shall follow:

- (a) ¹[the Chairman and all members but not the Secretary] shall on a date to be specified in the order vacate their offices but without prejudice to their eligibility for appointment or nomination as member;
- (b) the Council shall be reconstituted by the Cane Commissioner in accordance with the provisions of sub- section (3); and
- (c) the duties, power and functions of the Council shall, pending its reconstitution, be discharged, exercised and performed by the ²[Secretary] for such period and subject to restrictions as may be specified in the order.

Section 6.

Functions of the Council.

(1) Functions of the Council shall be-

- (a) to consider and approve the programme of development for the zone;
- (b) to devise ways and means for the execution of the development plan in all its essentials such as cane varieties, can seed, sowing programme, fertilizers and manures;
- (c) to undertake the development of irrigation and other agricultural facilities in the zone;
- (d) to take necessary steps for the prevention and control of diseases and pests and to render all possible help in the soil extension work;
- (e) to impart technical training to cultivators in matters relating to the production of cane;
- (f) to administer the funds at its disposal for the execution of the development scheme subject to the general or special directions of the Cane Commissioner; and
- (g) to perform other prescribed functions pertaining and conducive to the general development of the zone.

(2) The State Government may by rule provide for an annual meeting of all the Development Council in a district. Every such meeting shall be presided over by the Collector.

Section 7.

Casual vacancy.

A casual vacancy in the Council shall be filled up, as far as may be, in the manner stated in sub-section (3) of Section 5.

Section 8.

Council Fund.

(1) There shall be a fund at the disposal of the Council to meet the charges in connection with the discharge of its duties and performance of its functions under this Act.

(2) The fund of the Council shall consist of -

- (a) grants, if any made by the Indian Central Sugarcane Committee;
- (b) grants, if any made by the State Government;
- (c) contributions made by the sugar factories, ³[*Gur, Rab or Khandsari* Sugar Manufacturing Units] and 'Cane- growers' Co-operative Societies at rates to be prescribed; and
- (d) any other sums, which the State Government may require to be credited to it.

¹ Substituted by Section 4(b)(i) of U.P. Act no. VII of 1974 with effect from 21.12.1973

² Inserted by Section 4(b)(ii) of U.P. Act no. VII of 1974 with effect from 21.12.1973

³ Inserted by Section 6 of U.P. Act no. III of 1960 with effect from 30.01.1960

¹[Section 8-A.

Supersession of Council.

If at any time, the State Government is, after taking into consideration the explanation, if any, of the Council, satisfied that the Council has made a willful default in the performance of any of its functions and duties under this Act, it may, by notification, supersede the Council for such period as may be specified, and shall make such arrangements for the performance of the functions and duties of the Council, during the period of supersession, as it may deem fit.]

Section 9.

Sugar Commissioner and Cane Commissioner.

The State Government may for purpose of this Act appoint-

- (a) a Sugar Commissioner; and
- (b) a Cane Commissioner;

who shall perform the duties and exercise all powers conferred or imposed upon them by or under this Act:

Provided that nothing in this section shall prevent the State Government from appointing the same person to be Sugar Commissioner and the Cane Commissioner.

²[Section 10.

Additional, Deputy or Assistant Cane/Sugar Commissioner.

The State Government may appoint any person or designate any Government Officer as Additional, Deputy or Assistant Cane Commissioner or Additional, Deputy or Assistant Sugar Commissioner.]

Section 11.

Inspectors.

(1) The State Government may for purposes of this Act appoint any person or designate such officers of the Government as it thinks fit to be Inspectors within such local limits as may be assigned to them.

(2) The Inspectors shall perform the duties and exercise the powers conferred or imposed upon them by or under this Act.

CHAPTER III
SUPPLY AND PURCHASE OF CANE

Section 12.

Estimates of requirements.

(1) The Cane Commissioner, may for purposes of Section 15, by order, require the occupier of any factory to furnish in the manner and by the date specified in the order to the Cane Commissioner an estimate of the quantity of cane which will be required by the factory during such crushing season ³[or crushing seasons] as may be specified in the order.

(2) The Cane Commissioner shall examine every such estimate and shall publish the same with such modifications, if any, as he may make.

(3) An estimate published under sub-section (2) may be revised by an authority to be prescribed.

Section 13.

Register of Cane-growers and Cane-growers' Co-operative Society or Societies.

(1) The occupier of a factory shall maintain in the prescribed form a register of all such cane-growers and Cane-growers' Co-operative Society or Societies, and shall sell cane to that factory.

(2) The State Government may, by rules, make provision for the following-

- (a) correction of entries made in the register and addition of new entries if necessary;
- (b) fixing of prices in respect of entries so corrected or added in the register and prescribing of the procedure for payment of such price; and
- (c) the supply of copies of entries made in the register on payment of the prescribed fee.

¹ Inserted by Section 3 of U.P. Act no. X of 1976 with effect from 17.09.1975

² Substituted by Section 4 of U.P. Act no. IV of 1964 with effect from 12.02.1964

³ Inserted by Section 2 of U.P. Act no. XXI of 1956 with effect from 23.06.1956

Section 14.

Power of survey etc.

- (1) The State Government may, for purposes of Section 15, by order provide for-
 - (a) a survey to be made of the area proposed to be served or assigned for the supply of cane to a factory and the recovery of the cost of such survey from the occupier of the factory.
 - (b) the appointment of an officer for purposes of such survey, his duties and powers;
 - (c) the procedure in accordance with which the survey shall be made;
 - (d) the assistance and facilities to be provided to the officer appointed in pursuance of Clause (b) by the persons owning for occupying land in the area; and
 - (e) such incidental and consequential matters as may appear to be necessary or desirable for this purpose.
- (2) Any amount due from the occupier of a factory in pursuance of Clause (a) of sub-section (1) shall be recoverable from such occupier as an arrear of land revenue.

Section 15.

Declaration of reserved area and assigned area.

- (1) Without prejudice to any order made under Clause (d) of sub-section (2) of Section 16 the Cane Commissioner may, after consulting the Factory and Cane-growers' Co- operative Society in the manner to be prescribed:
 - (a) reserve any area (hereinafter called the reserved area); and
 - (b) assign any area (hereinafter called an assigned area),
 for the purposes of the supply of cane to a factory in accordance with the provisions of Section 16 during ¹[one or more crushing seasons as may be specified] and may likewise at any time cancel such order or alter the boundaries of an area so reserved or assigned.
- (2) Where any area has been declared as reserved area for a factory, the occupier of such factory shall, if so directed by the Cane Commissioner, purchase all the cane grown in that area, which is offered for sale to the factory.
- (3) Where any area has been declared as assigned area for a factory, the occupier of such factory shall, purchase such quantity of cane grown in that area and offered for sale to the factory as may be determined by the Cane Commissioner.
- (4) An appeal shall lie to the State Government against the order of the Cane Commissioner passed under sub-section (1).

Section 16.

Regulation of purchase and supply of cane in the reserved and assigned areas.

- (1) The State Government may, for maintaining supplies, by order, regulate-
 - (a) the distribution, sale or purchase of any cane in any reserved or assigned area; and
 - (b) purchase of cane in any area other than a reserved or assigned area.
- (2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers such order may provide for-
 - (a) the quantity of cane to be supplied by such Cane-grower or Cane-growers' Co-operative Society in such area to the factory for which the area has so been reserved or assigned;
 - (b) the manner in which cane grown in the reserved area or the assigned area, shall be purchased by the factory for which the area has been so reserved or assigned and the circumstance in which the cane grown by a cane-grower shall not be purchased except through a cane-growers' Co-operative Society;
 - (c) the form and the terms and conditions of the agreement to be executed by the occupier or manager of the factory for which an area is reserved or assigned for the purchase of cane offered for sale;

¹ Substituted by Section 3 of U.P. Act no. XXI of 1956 with effect from 23.06.1956

- (d) the circumstances under which permission may be granted-
- (i) for the purchase of cane grown in reserved or assigned area by a ¹[*Gur, Rab* or *Khandsari* Manufacturing Unit or any person or factory] other than the factory for which area has been reserved or assigned, and
 - (ii) for the sale of cane grown in reserved or assigned area to ²[a *Gur, Rab* or *Khandsari* Manufacturing Unit or any person or factory] other than the factory for which the area is reserved or assigned;
 - (e) such incidental and consequential matters as may appear to be necessary or desirable for this purpose.

Section 17.

Payment of cane price.

³[(1) The occupier of a factory shall make such provision for speedy payment of the price of cane purchased by him as may be prescribed.]

(2) Upon the delivery of cane the occupier of a factory shall be liable to pay immediately the price of the cane so supplied, together with all other sums connected therewith, ⁴[X X X]

(3) Where the person liable under sub-section (2) is in default in making the payment of the price for period exceeding fifteen days from the date of delivering, he shall also pay interest at a rate of 7½ per cent per annum from the said date of delivering, but the Cane Commissioner may, in any case, direct, with the approval of the State Government, that no interest shall be paid or be paid at such reduced rate as he may fix;

⁵[Provided that in relation to default in payment of price of cane purchased after the commencement of this proviso, for the figures '7½' the 'figures 12' shall be deemed substituted.]

(4) The Cane Commissioner shall forward to the Collector a certificate under his signature specifying the amount of arrears on account of the price of cane *plus* interest, if any, due from the occupier and the Collector, on receipt of such certificate, shall proceed to recover from such occupier the amount specified therein as if it were an arrear of land revenue.

⁶[Provided that notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in any other law for the time being in force, it shall be lawful that before or after the issue of recovery certificate by the Cane Commissioner but at any time before the completion of the recovery proceedings, if it is found that the owner of the company of the concerned defaulter factory has given any loan or done investment under any legal arrangement to a subsidiary company, associate company or other company that is engaged or not engaged in manufacturing of sugar, and to whom under any contract, any amount is to be received from any Department of the State Government or from any Corporation or Board or any other institution constituted under any statutory rules, the State Government may for the purpose of ensuring payment of cane price arrears of sugarcane farmers, forfeit the loan or investment amount or an amount equivalent to the outstanding cane arrear amount and give necessary instructions to the Cane Commissioner to take further action.

Explanation- The words "company", "subsidiary company" or "associate company" used in the proviso above shall have the meanings respectively assigned to them in the Companies Act, 2013 (Act no. 18 of 2013)].

¹ Substituted by Section 5(1) of U.P. Act no. IV of 1964 with effect from 12.02.1964

² Substituted by Section 5(2) of U.P. Act no. IV of 1964 with effect from 12.02.1964

³ Substituted by Section 6 of U.P. Act no. IV of 1964 with effect from 12.02.1964

⁴ Omitted by Section 5 (a) of U.P. Act no. VII of 1974 with effect from 21.12.1973

⁵ Inserted by Section 2 of U.P. Act no. XXVIII of 1974 with effect from 30.08.1974

⁶ Inserted by Section 2 of U.P. Act no. XXXVIII of 2021 with effect from 27.12.2021

¹[(5)(a) Without prejudice to the provisions of the foregoing sub-sections, where the owner or any other person having control over the affairs of the factory or any other person competent in that behalf enters into an agreement with a bank under which the bank agrees to give advance to him ²[on the security of sugar or ethanol (directly produced from the sugarcane juice or B-Heavy Molasses)] produced or to be produced in the factory, the said owner or other person shall provide in such agreement that ³[a percentage determined by such authority and in such manner as may be prescribed] of the total amount of advance shall be set apart and be available only for repayment to cane-growers or their co-operative societies on account of the price of sugarcane purchased or to be purchased for the factory during the current crushing season from those cane-growers or from or through those societies, and interest thereon and, such societies' commission in respect thereof.

(b) Every such owner or other person as aforesaid shall send a copy of every such agreement to the Collector within a week from the date on which it is entered into.]

Section 18.

⁴[Contribution purchase of cane.

(1) There shall be paid by the occupier of a factory or a *Gur, Rab* or *Khandsari* Sugar Manufacturing Unit a contribution for every one maund of cane purchased by the factory or a *Gur, Rab* or *Khandsari* sugar manufacturing unit as the case may be-

(a) where the purchase is made through a Cane-growers' Co-operative Society, the contribution shall be payable to the Cane-growers' Society and the council in the capital/fund there of in such proportion as the State Government may declare, so, however, that the share payable to the Council shall not exceed fifty per cent; and

(b) where the purchase is made directly from the cane-grower, the contribution in the fund shall be payable to the Council;

Provided that different rates of contribution may be prescribed for a factory and for a *Gur, Rab* or *Khandsari* Sugar Manufacturing Unit:

Provided further that the State Government may by notification in the official Gazette remit in whole or in part such contribution in respect limited purpose specified in the notification.

(2) The contribution payable under clauses (a) and (b) of sub-section (1) shall be at such rates as may be prescribed not exceeding the rates at which the contribution in the fund may be payable to the Council under clause (a)

(3) The provisions relating to payment, interest and recovery including recovery as arrears of land revenue, applicable to price of cane shall *mutatis mutandis* apply to payment and recovery of contribution under sub-section (1).]

Section 19.

Power to declare varieties of cane to be unsuitable for use in factories.

(1) The State Government may, by notification, declare that -

(a) cane of any variety grown in any area specified in such notification is unsuitable for use in all or any factories situated in the said area;

(b) ratoon cane of any variety grown in any area specified in such notification is unsuitable for use in any or all factories situated in the said area; and

(c) seed cane of any variety is unsuitable for distribution cultivators in an area as specified in such notification.

¹ Inserted by Section 2 of U.P. Act no. II of 1972 with effect from 30.12.1971

² Substituted by Section 3 of U.P. Act no. XXIII of 2008 with effect from 29.08.2008

³ Substituted and be deemed always to have been substituted by Section 5 (b) of U.P. Act no. VII of 1974

⁴ Substituted by Section 2 of U.P. Act no. VIII of 2019 with effect from 12.06.2019

(2) The notification under sub-section (1) shall be issued after December 31, and before September 1, in any calendar year.

(3) Where any seed cane of any variety has been declared under sub-section (1) to be unsuitable for distribution to cultivators in that area, the occupier of a factory or any other person acting on his behalf or Cane-growers' Co-operative Society shall not distribute seed cane of such variety or varieties to any person to be used by cane-growers or the members of the Cane-growers' Co-operative Societies in any area.

(4) Where cane or ratoon cane of any variety has been declared under sub-section (1) to be unsuitable for use in a factory, the occupier of such factory or any other person acting on his behalf or a cane-grower or a Cane-growers' Co-operative Society shall not plant cane of any variety, or keep ratoon cane of any such variety.

CHAPTER IV Miscellaneous

Section 20.

Tax on sale of cane ¹[***]

Section 21.

Determination of occupier ²[for the purposes of Section 22.]

(1) Where the occupier of ³[a factory or *Gur, Rab* or *Khandsari* Sugar Manufacturing Unit] is a firm or other association of individuals ⁴[(not being a company)], any one or more of the partners or members thereof may be prosecuted and punished under this Act, for any offence for which the occupier of ³[the factory or the *Gur, Rab* or *Khandsari* Sugar Manufacturing Unit] is punishable.

Provided that the firm or association may give notice to the Collector that it has nominated one of its members to be occupier of ³[the factory or a *Gur, Rab* or *Khandsari* Sugar Manufacturing Unit] for the purpose of ⁵[this sub-section] and such individual shall be deemed to be the occupier for the purpose of this sub-section until further notice cancelling his nomination is received by the Collector or until he ceases to be a partner or member of the firm or association.

(2) Where the occupier of a factory is a company or a *Gur, Rab* or *Khandsari* Sugar Manufacturing Unit is a company any one or more of the directors thereof, or, in the case of a private company, any one or more of the share-holders thereof may be prosecuted and punished under this Act for any offence for which the occupier of ³[the factory or the *Gur, Rab* or *Khandsari* Sugar Manufacturing Unit] is punishable:

Provided that the company may give notice to the Collector that it has nominated a director, or in the case of a private company, a share-holder to be the occupier of ³[the factory or the *Gur, Rab* or *Khandsari* Sugar Manufacturing Unit] for the purposes of this sub-section and such director or share holder shall be deemed to be the occupier of ³[the factory or the *Gur, Rab* or *Khandsari* Sugar Manufacturing Unit] for the purposes of ⁵[this sub-section] until further notice cancelling his nomination is received by the Collector or until he ceases to be a director or share-holder.

¹ Repealed by Section 9 (1) of U.P. Act no. XXII of 1956

² Substituted and be deemed always to have been substituted by Section 6(a) of U.P. Act no. VII of 1974

³ Substituted by Section 9 of U.P. Act no. III of 1960 with effect from 30.01.1960

⁴ Inserted and be deemed always to have been inserted by Section 6(b) of U.P. Act no. VII of 1974

⁵ Inserted and be deemed always to have been inserted by Section 6(c) of U.P. Act no. VII of 1974

Section 22.

Penalties.

If any person contravenes any of the provision of this Act or any rule or of Order made thereunder, he shall be liable to imprisonment up to six months or to a fine not exceeding ¹[one lakh rupees] or both and in the case of continuing contravention to a further fine not exceeding ²[five thousand] for each day during which the contravention continues.

³**[Section 22-A**

Powers of certain officers to investigate into offences punishable under this Act.

(1) An Inspector specially empowered in relation to cases generally or to any class of cases by the State Government, by notification in that behalf, may investigate into any offence punishable under this Act committed within the limits of the area in which such officer exercises jurisdiction.

(2) Any such officer may exercise the same powers in respect of such investigation as an officer-in-charge of a police station may exercise in a cognizable case under the provisions of Chapter XII of the Code of Criminal Procedure, 1973.

Section 22-B.

Duty of officers of certain departments to report offences and to assist Inspectors.

Every officer of the Police, Revenue and Excise Departments shall be bound to give immediate information to an Inspector of all branches of any of the provisions of this Act which may come to his knowledge and upon request made by an Inspector, to aid him in carrying out the provisions of this Act and the rules made thereunder.]

Section 23.

Institution of proceedings.

(1) No prosecution shall be instituted under this Act except upon complaint made by or under authority from the Cane Commissioner or the District Magistrate.

(2) On the application of a person accused of an offence under this Act, the Cane Commissioner or the District Magistrate with the previous concurrence of the Cane Commissioner may at any stage compound such offence by levying a composition fee not exceeding the fine which could be imposed for such offence.

(3) No Court inferior to that of a Magistrate of the second class shall try any offence against this Act or any Order or Rule made thereunder.

Section 24.

Special powers of Magistrates.

Notwithstanding anything contained in Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1898, it shall be lawful for ⁴[Chief Judicial Magistrate or Chief Metropolitan Magistrate as the case may be, or Additional Chief Judicial Magistrate or Additional Chief Metropolitan Magistrate] specially empowered by the State Government in this behalf and trying any case under this Act or any Order or Rule made thereunder to pass a sentence of fine not exceeding ⁵[one lakh rupees] on any person convicted for any offence under this Act.

¹ Substituted by Section 2 of U.P. Act no. V of 2021 with effect from 31.12.2020

² Substituted by Section 2 of U.P. Act no. XXXIII of 2007 with effect from 20.11.2007

³ Inserted by Section 3 of U.P. Act no. XXXIV of 1976 with effect from 18.11.1976

⁴ Substituted by Section 3 of U.P. Act no. XXXIII of 2007 with effect from 20.11.2007

⁵ Substituted by Section 3 of U.P. Act no. V of 2021 with effect from 31.12.2020

Section 25.

Protection of action taken under the Act.

(1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any order or rule made under this Act.

(2) No suit or other legal proceeding shall lie against the State Government for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any order or rule made under this Act.

Section 26.

Repeal and saving.

The U.P. Sugar Factories Control Act, 1938 (hereinafter in this section and Section 27 referred to as "the said Act") is hereby repealed:

Provided that without prejudice to the general application of Section 6 and 24 of the U.P. General Clauses Act, 1904, with regard to repeal and continuation of appointments, notification, orders, etc., under enactment repealed and re-enacted, this repeal shall not prejudice or affect-

- (a) The operation of any notice served, order made or any permit licence or sanction granted before the commencement of this Act under the powers conferred by the said Act;
- (b) the continued validity of any cess, tax fee or other penalty assessed or imposed under the said Act prior to its repeal or the power to assess or impose any such cess, tax, fee or penalty in respect of the period prior to its repeal or anything done or permitted to be done thereunder, and such cess, tax, fee or penalty may be assessed or imposed any such thing done as if the said Act had not been repealed:
- (c) the continuance of a Board, or Cane Development Council constituted under the said Act and the same shall, till such Board or Council has been duly constituted under and in accordance with this Act, exercise the powers, duties and functions exercisable or dischargeable by it under this Act: or
- (d) the continued operation of any immunity, exemption or protection granted by or under the said Act:

Provided further, that any area declared to be a reserved area or an assigned area under the said Act shall unless directed otherwise or superseded by anything done or any action taken under this Act, continue in force as if declared under this Act.

Section 27.

Transitory provisions.

The State Government may for the purpose of removing any difficulties in relation to the transition from the provisions of the said Act to this Act, by order published in the official Gazette-

- (a) direct that this Act shall during such periods as may be specified in the order take effect subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission as it may deem fit to be necessary or expedient; and
- (b) make such other temporary provision for the purpose of removing any such difficulty as it may deem fit to be necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after twelve months from the commencement of this Act.

Section 28.

Power to make rules.

(1) The State Government may make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of foregoing power, such rules may provide for-

- (a) The establishment and constitution of the ¹[Council];
- (b) The dissolution and reconstitution of the ¹[Councils] and other matters incidental thereto;
- (c) The procedure to be followed in removal of members of the ¹[Council];
- (d) The provisions for the conduct of business by the ¹[Council].
- (e) The manner of summoning of the annual meeting of the Council under Section 6, the business to be transacted at such meetings and the procedure for the transaction of such business;
- (f) The manner and form in which the fund placed at the disposal of the Council under Section 8 shall be maintained and the application and payment from such fund;
- (g) The directions to be issued by the State Government to the ¹[Councils] for carrying out the purposed of this Act;
- (h) The duties, powers and functions of the Sugar Commissioner and Cane Commissioner;
- (i) The matters relating to the appointment and other conditions of service of Inspectors to be appointed under Section 11 and their duties, powers and functions;
- (j) The time within which application and appeals may be presented under this Act, in cases for which no specific provision in that behalf has been made herein;
- (k) The fees to be paid in respect of application and appeals under this Act;
- (l) ²[***]
- (m) The form of the agreement to be entered into by or under the provisions of this Act and the penalty to be paid for breach of conditions of agreement;
- (n) ³[The constitution, operation, management, supervision and audit of Councils and control of their staff and finances] and conditions relating to the recognition of the U.P. Cane Unions' Federation and Cane-growers' Co-operative Societies for the purposes of this Act;
- (o) The rate at which and the manner in which commission shall be paid to the Cane-growers' Co-operative Society on supply of cane by them;
- (p) The correct weighment of cane, the provision of facilities for weighment and for checking weighment and of timings of weighments;
- (q) The provision of approach roads, parking space for carts bringing cane to factories, sheds for bullocks and cart-drivers, water troughs for bullocks and other connected matters;
- (r) The reference to the Cane Commissioner of the disputes-
 - i. ⁴[Regarding the business of the Cane-growers' Co-operative Societies between the Society and the factory or between a Cane-grower and factory;]
 - ii. Between the Council and Cane-growers' Co-operative Societies or between the Council and the factory or between the Council and the cane-growers regarding the payment of contribution to the Council by the Societies or the factories and any other dispute relating to the business of the Council;

¹ The word "Council" substituted in place of word "board and council" where ever occurs by U.P. Act no. XVII of 2006 with effect from 30.05.2006

² Omitted by Section 7 of U.P. Act no. VII of 1974 with effect from 21.12.1973

³ Substituted by U.P. Act no. XI of 1966

⁴ Substituted by U.P. Act no. XI of 1966

For decision to the Cane Commissioner or if he so directs to arbitration, the mode of appointing arbitrators, the procedure to be followed before the Cane Commissioner or the arbitrator and the enforcement of the decision of the Cane Commissioner or the awards of the arbitrator or arbitrators;

- (s) The form of the statements, returns, registers and other forms required to be maintained by or under this Act and the filing of such returns, statement and forms;
- (t) The forms and the manner in which applications shall be made for various purposes by or under this Act;
- (u) The duties of any officer or authority having jurisdiction under the Act and the procedure to be followed by such officer or authority; and
- (v) The matters which are to be or may be prescribed.

(3) The Rules made under this section shall come into force from a date to be appointed by the State Government.

(4) All such rules shall be laid before the State Legislature when it meets immediately after their enforcement and shall be subject to such omissions, alterations and additions as the Legislature may make.

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953

[उ0प्र0 अधिनियम संख्या 24, 1953]

धारा

अध्याय 1

प्रारम्भिक

- 1— संक्षिप्त नाम प्रसार तथा प्रारम्भ
- 2— परिभाषाएं

अध्याय 2

प्रशासन के साधन (Administrative Machinery)

- 3— गन्ना बोर्ड
- 4— बोर्ड के कार्य
- 5— गन्ना विकास परिषद्
- 6— परिषद् के कार्य
- 7— आकस्मिक रूप से खाली स्थान (Casual Vacancy)
- 8— परिषद् निधि
- 8-क— परिषद् का अतिक्रमण
- 9— चीनी कमिश्नर तथा गन्ना कमिश्नर
- 10— अतिरिक्त, उप अथवा सहायक गन्ना/चीनी कमिश्नर
- 11— निरीक्षक

अध्याय 3

गन्ने की पूर्ति या खरीद

- 12— आवश्यकताओं का अनुमान
- 13— गन्ना उत्पादकों व गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति या समितियों का रजिस्टर
- 14— पैमायश इत्यादि का अधिकार
- 15— सुरक्षित क्षेत्रों तथा अभ्यर्पित क्षेत्रों का प्रख्यापन
- 16— सुरक्षित तथा अभ्यर्पित क्षेत्रों में गन्ने की पूर्ति तथा खरीद का विनियमन
- 17— गन्ने के मूल्य की अदायगी
- 18— गन्ना के क्रय पर अंशदान
- 19— फैक्टरियों में प्रयोगार्थ गन्ने के विभेदों को अनुपयुक्त प्रख्यापित करने का अधिकार

अध्याय 4

विविध

- 20— गन्ने की बिक्री पर कर
- 21— धारा 22 के प्रयोजनों के लिए अध्यासी का अवधारण
- 22— शास्तियां
- 22-क— इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों का अन्वेषण करने हेतु कतिपय अधिकारियों की शक्ति
- 22-ख— कतिपय विभागों के अधिकारियों का अपराधों की रिपोर्ट करने और निरीक्षक को सहायता देने का कर्तव्य
- 23— कार्यवाहियों का निवेशन (institution)
- 24— मैजिस्ट्रेट के विशेषाधिकार
- 25— इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों का संरक्षण
- 26— निवर्तन तथा अपवाद
- 27— संक्रमण सम्बन्धी उपबन्ध
- 28— नियम बनाने का अधिकार

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953

[उ0प्र0 अधिनियम संख्या 24, 1953]

दिनांक—27.12.2021 तक संशोधित

उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1956, उ0प्र0 अधिनियम सं0 22, 1956, उ0प्र0 अधिनियम सं0 3, 1960, उ0प्र0 अधिनियम सं0 34, 1961, उ0प्र0 अधिनियम सं0 6, 1962, उ0प्र0 अधिनियम सं0 4, 1964, उ0प्र0 अधिनियम सं0 11, 1966, उ0प्र0 अधिनियम सं0 6, 1971, उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1972, उ0प्र0 अधिनियम सं0 7, 1974, उ0प्र0 अधिनियम सं0 28, 1974, उ0प्र0 अधिनियम सं0 10, 1976, उ0प्र0 अधिनियम सं0 34, 1976, उ0प्र0 अधिनियम सं0 30, 1979, उ0प्र0 अधिनियम सं0 17, 2006, उ0प्र0 अधिनियम सं0 33, 2007, उ0प्र0 अधिनियम सं0 22, 2008, उ0प्र0 अधिनियम सं0 23, 2008, उ0प्र0 अधिनियम सं0 8, 2019, उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 2021, उ0प्र0 अधिनियम सं0 38, 2021 द्वारा संशोधित।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 13 अगस्त, 1953 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 5 सितम्बर, 1953 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 5 अक्टूबर, 1953 ई0 को स्वीकृत प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 9 अक्टूबर, 1953 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

चीनी की ¹[फैक्टरियां तथा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाइयों] में प्रयोग के लिये अपेक्षित गन्ने की पूर्ति और खरीद के विनियम का

अधिनियम

चीनी की ¹[फैक्टरियां तथा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाइयों] में प्रयोग के लिये अपेक्षित गन्ने की पूर्ति और खरीद एवं अन्य सम्बद्ध विषयों का विनियमन करना आवश्यक है;

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

धारा 1—

संक्षिप्त नाम प्रसार तथा प्रारम्भ

- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 कहलायेगा।
- (2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।
- (3) यह तुरन्त लागू होगा।

धारा 2—

परिभाषाएं

इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के प्रतिकूल कोई बात न होने पर—

- (क) “अभ्यर्पित क्षेत्र (assigned area)” का तात्पर्य धारा 15 के अधीन फैक्टरी के निमित्त अभ्यर्पित क्षेत्र से है;
- (ख) ²[***]
- (ग) “गन्ना” का तात्पर्य फैक्टरी ³[अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई] में प्रयोग के लिये उद्दिष्ट गन्ने से है;
- (घ) “गन्ना कमिशनर (Cane Commissioner)” का तात्पर्य धारा 9 के अधीन नियुक्त गन्ना कमिशनर (Cane Commissioner) से है और इसके अन्तर्गत धारा 10 के अधीन नियुक्त अतिरिक्त गन्ना कमिशनर (Additional Cane Commissioner) भी है;
- (ङ) “गन्ना उत्पादक” का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो या तो अपने आप या अपने परिवार के सदस्यों द्वारा, अथवा भाड़े की मजदूरी से गन्ने की खेती करता हो, किन्तु गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति का सदस्य न हो;

¹ उ0प्र0 अधिनियम सं0 3, 1960 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

² उ0प्र0 अधिनियम सं0 17, 2006 की धारा 3 द्वारा निकाल दिया गया एवं दिनांक 30.05.2006 से प्रवृत्त।

³ उ0प्र0 अधिनियम सं0 4, 1964 की धारा 2(1) द्वारा बढ़ाये गये।

- (च) “गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति” का तात्पर्य ऐसी समिति से है, जो कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1912 के अधीन रजिस्टर्ड हो और जिसका एक उद्देश्य यह भी हो कि वह अपने सदस्यों द्वारा उत्पादित गन्ने को बेचें और इसके अन्तर्गत उक्त समितियों का, उक्त ऐक्ट की धारा 8 के अधीन रजिस्टर्ड संघ भी है;
- (छ) “कलेक्टर” के अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के अधिकारों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के हेतु नियुक्त करे;
- (ज) “परिषद (Council)” का तात्पर्य धारा 5 के अधीन स्थापित गन्ना विकास परिषद् (Cane Development Council) से है;
- (झ) “पेराई का मौसम” का तात्पर्य ¹[किसी भी वर्ष में उस अवधि से है, जो 1 अक्टूबर से प्रारम्भ हो और उसके ठीक पश्चात् पड़ने वाली 15 जुलाई को समाप्त हो ;]
- ²[(झ-एक) “इथेनाल” का तात्पर्य सीधे गन्ने के रस से या ख-भारी शीरे या दोनों से उत्पादित न्यूनतम 99 प्रतिशत शक्ति का एनहाइड्रस इथाईल अल्कोहल से है;
- स्पष्टीकरण— जब कोई शक्कर कारखाना सीधे गन्ने के रस या ख-भारी शीरे से इथेनाल का उत्पादन करता है, तो ऐसी चीनी फैक्ट्री के मामले में वसूली की दर का निर्धारण इस प्रकार उत्पादित प्रत्येक छह सौ लीटर इथेनाल को एक टन शक्कर के उत्पादन के बराबर विचार करके किया जायेगा।]
- ³[(ज) “फैक्टरी” का तात्पर्य ऐसे गृहादि से है, जिसके अन्तर्गत अहाते भी हैं, जिसमें बीस या बीस से अधिक श्रमिक काम करते हों या पिछले बारह महीनों में किसी दिन काम किये हों और जिसके किसी भाग में शक्कर के उत्पादन से सम्बद्ध विनिर्माण प्रक्रिया निर्वात कड़ाह प्रक्रिया द्वारा होती हो या इथेनाल की विनिर्माण प्रक्रिया यथास्थिति, सीधे गन्ने के रस से या शीरे से, जिसके अन्तर्गत ख-भारी शीरा भी है या दोनों से हो रही हो या सामान्यतः यन्त्रचालित शक्ति द्वारा होती हो।]
- ⁴[(ज-1) “गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई” का तात्पर्य ऐसी इकाई से है, जो किसी सुरक्षित क्षेत्र में गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने में लगी हो या साधारणतया लगी रहती हों और जो यंत्र शक्ति द्वारा चालित कोल्हू की सहायता से निकाले गये गन्ने के रस का प्रयोग करने में समर्थ हो ;]
- ⁵[(ज-2) “निरीक्षक” का तात्पर्य धारा 11 के अधीन निरीक्षक के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति या पदयुक्त किसी अधिकारी से है ;]
- ⁶[(ट) किसी फैक्ट्री अथवा गुड़, राब या खण्डसारी शक्कर बनाने वाली किसी इकाई के संबंध में, “अध्यासी” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति (जिसमें कोई कम्पनी, फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य समवाय भी शामिल है) अथवा प्राधिकारी से है जिसके स्वामित्व में ऐसी फैक्ट्री या इकाई हो अथवा जिसका ऐसी फैक्ट्री या इकाई के मामलों पर अन्तिम नियंत्रण हो, और यदि उक्त मामले ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी के मैनेजिंग एजेन्ट अथवा डाइरेक्टर या अन्य अधिकारी को सौंपे गये हों, तो इसके अन्तर्गत ऐसा मैनेजिंग एजेन्ट, डाइरेक्टर या अन्य अधिकारी भी है।
- स्पष्टीकरण— इस बात के होते हुए भी फैक्ट्री या इकाई के मामले किसी मैनेजिंग एजेन्ट अथवा डाइरेक्टर या अन्य अधिकारी को सौंप दिये गये हों, उस व्यक्ति या प्राधिकारी के, जिसके स्वामित्व में ऐसी फैक्ट्री या इकाई हो अथवा जिसका ऐसी फैक्ट्री या इकाई के मामलों पर अन्तिम नियंत्रण हो, धारा 17 के अधीन दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ;]

(ठ) “नियत” का तात्पर्य नियमों द्वारा नियत से है;

(ड) ⁷[x x x]

¹ उ०प्र० अधिनियम सं० 6, 1971 की धारा 2 द्वारा रखे गये एवं दिनांक 30.06.1970 से प्रवृत्त।

² उ०प्र० अधिनियम सं० 23, 2008 की धारा 2 (क) द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 29.08.2008 से प्रवृत्त।

³ उ०प्र० अधिनियम सं० 23, 2008 की धारा 2 (ख) द्वारा रखा गया एवं दिनांक 29.08.2008 से प्रवृत्त।

⁴ उ०प्र० अधिनियम सं० 3, 1960 की धारा 3 (1) द्वारा बढ़ाया गया।

⁵ उ०प्र० अधिनियम सं० 34, 1976 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 18.11.1976 से प्रवृत्त।

⁶ उ०प्र० अधिनियम सं० 7, 1974 की धारा 2 (क) द्वारा रखा गया और सदैव से रखा गया समझा जाय।

⁷ उ०प्र० अधिनियम सं० 7, 1974 की धारा 2 (ख) द्वारा निकाला गया एवं दिनांक 21.12.1973 से प्रवृत्त।

¹[(ढ) “सुरक्षित क्षेत्र” (reserved area) का तात्पर्य डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स, 1962 के नियम 125-बी के अधीन गन्ना क्षेत्रों के सुरक्षण के लिये दी गई आज्ञा के अधीन किसी फैक्टरी के लिये सुरक्षित क्षेत्र से है और जब ऐसी कोई आज्ञा प्रचलित न हो, तो धारा 15 के अधीन दी गयी आज्ञा में निर्दिष्ट क्षेत्र से है;]

(ण) “नियम” का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये नियम से है ;

(त) “राज्य सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ; और

(थ) “चीनी कमिश्नर” (Sugar Commissioner) का तात्पर्य उस अधिकारी से, जो धारा 9 के अधीन चीनी कमिश्नर (Sugar Commissioner) नियुक्त हो ²[और इसमें धारा 10 के अधीन नियुक्त अतिरिक्त चीनी कमिश्नर भी सम्मिलित है।]

अध्याय 2

प्रशासन के साधन (Administrative Machinery)

धारा 3—

गन्ना बोर्ड ³[***]

धारा 4—

बोर्ड के कार्य ⁴[***]

धारा 5

गन्ना विकास परिषद्

(1) फैक्टरी के सुरक्षित क्षेत्र के लिए एक गन्ना विकास परिषद् (जिसे यहां पर आगे चल कर परिषद् कहा गया है) स्थापित की जाएगी, जो उस क्षेत्र के नाम से अथवा उस नाम से, जो नियत किया जाए एक सततानुक्रम वाली (having perpetual succession) निगमित संस्था (body corporate) होगी और वह किसी ऐसे विरोध या विशेषताओं के अधीन (Subject to such restriction or qualifications) जो इस अधिनियम या किसी दूसरे विधायन के अधीन लगायी जायं, निगमित नाम से वाद प्रस्तुत करने या उस पर वाद प्रस्तुत किए जाने, चल तथा अचल सम्पत्ति उपार्जित करने, रखने, प्रशासित तथा हस्तान्तरित करने तथा संविदा भी करने की क्षमता रखेगी:

किन्तु, प्रतिबन्ध यह है कि जब गन्ना कमिश्नर आदेश दे, तो फैक्टरी के लिए सुरक्षित क्षेत्र से बड़े अथवा छोटे क्षेत्र के लिए भी परिषद् की स्थापना की जा सकती है।

(2) वह क्षेत्र जिसके लिए परिषद् की स्थापना की जाए, भाग (Zone) कहलावेगा।

⁵[(3) परिषद् में निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:—

(i) सम्बद्ध चीनी की फैक्टरी के दो प्रतिनिधि, जो अध्यासी द्वारा नामांकित किए जायेंगे।

⁶{(ii) सुरक्षित क्षेत्र में कार्यशील गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों के सात प्रतिनिधि, जो ऐसी समितियों के प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों द्वारा समितियों के सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि सात प्रतिनिधियों में से एक प्रतिनिधि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों तथा एक प्रतिनिधि अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों में से होगा तथा एक प्रतिनिधि महिला होगी;}

(iii) सुरक्षित क्षेत्र में, खंडसारी बनाने वाली लाइसेंस शुदा शक्ति चालित इकाइयों का एक प्रतिनिधि जो स्वामियों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा;

(iv) जिला गन्ना अधिकारी;

(v) गन्ना रक्षा निरीक्षक;

⁷{(vi) बीज उत्पादन अधिकारी; }

(vii) ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक जो पदेन सदस्य—सचिव होगा।

(3—क) परिषद् के सदस्य ⁸{उपधारा(3) के खंड (ii) में निर्दिष्ट पांच प्रतिनिधियों में से एक व्यक्ति को}, परिषद् का सभापति निर्वाचित करेंगे;]

⁹[(4) परिषद् का कार्यकाल सहकारी गन्ना समिति के कार्यकाल का सहविस्तारी होगा और इसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद परिषद् उपधारा (3) में दिये गये उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जायेगी।]

¹ उ०प्र० अधिनियम सं० 4, 1964 की धारा 2 (2) द्वारा प्रतिस्थापित और सदैव से रखा गया समझा जाय।

² उ०प्र० अधिनियम सं० 4, 1964 की धारा 2 (3) द्वारा बढ़ाये गये एवं दिनांक 12.02.1964 से प्रवृत्त।

³ उ०प्र० अधिनियम सं० 17, 2006 की धारा 3 द्वारा निकाल दिया गया एवं दिनांक 30.05.2006 से प्रवृत्त।

⁴ उ०प्र० अधिनियम सं० 17, 2006 की धारा 3 द्वारा निकाल दिया गया एवं दिनांक 30.05.2006 से प्रवृत्त।

⁵ उ०प्र० अधिनियम सं० 10, 1976 की धारा 2(क) एवं दिनांक 17.04.1976 से प्रवृत्त।

⁶ उ०प्र० अधिनियम सं० 22, 2008 की धारा 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित एवं दिनांक 29.08.2008 से प्रवृत्त।

⁷ उ०प्र० अधिनियम सं० 30, 1979 की धारा 2(i)(ख) द्वारा प्रतिस्थापित एवं दिनांक 14.09.1979 से प्रवृत्त।

⁸ उ०प्र० अधिनियम सं० 30, 1979 की धारा 2(i) द्वारा प्रतिस्थापित एवं 14.09.1979 से प्रवृत्त।

⁹ उ०प्र० अधिनियम सं० 22, 2008 की धारा 2 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित एवं दिनांक 29.08.2008 से प्रवृत्त।

(5) परिषद् को तोड़ देने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे:—

- (क) ¹[सचिव से भिन्न सभापति सभी सदस्य] आज्ञा में निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक पर अपने-अपने पद खाली कर देंगे, किन्तु इससे उनकी सदस्य के रूप में नियुक्ति अथवा नामांकन के निमित्त पात्रता पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़ेगा;
- (ख) गन्ना कमिश्नर उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार परिषद् को पुनः संगठित करेंगे; और
- (ग) पुनः संगठित होने तक, परिषद् के कर्तव्यों, अधिकारों तथा कार्यों का पालन, प्रयोग तथा सम्पादन उन प्रतिबन्धों के अधीन तथा उस अवधि में, जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, ²[सचिव] करेंगे।

धारा-6

परिषद् के कार्य

(1) परिषद् के कार्य निम्नलिखित होंगे:—

- (क) प्रभाग (Zone) के लिये विकास कार्यक्रम पर विचार करना तथा उसे स्वीकार करना;
- (ख) विकास योजना के सभी आवश्यक अंगों, जैसे गन्ने के विभेद, गन्ने के बीज, बुआई का कार्यक्रम, उर्वरक और खाद के निष्पादन (Execution) के उपाय और साधन का निकालना;
- (ग) प्रभाग (Zone) में सिंचाई तथा अन्य कृषि संबंधी सुविधाओं का विकास करना ;
- (घ) बीमारियों और कीटाणुओं की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए आवश्यक कार्यवाही करना एवं भूमि विस्तारकार्य (Soil extension work) के निमित्त सभी संभव सहायता देना ;
- (ङ) गन्ने की उत्पत्ति के संबंध में कृषकों को औद्योगिक (Technical) शिक्षा ;
- (च) गन्ना कमिश्नर के सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अधीन विकास योजनाओं के निष्पादन के लिये अपने अधीनस्थ निधियों को लगाना ;

और

(छ) प्रभाग (Zone) के सामान्य विकास से सम्बद्ध तथा उनके लिये लाभप्रद नियत कार्यों को करना।

(2) राज्य सरकार जिले में सभी परिषदों की वार्षिक बैठक के लिये नियम द्वारा व्यवस्था कर सकती है। इस प्रकार की सभी बैठकों में कलेक्टर प्रधान होंगे।

धारा 7—

आकस्मिक रूप से खाली स्थान (Casual Vacancy)

परिषद् का कोई भी आकस्मिक रूप से खाली स्थान (Casual vacancy) जहां तक संभव हो, धारा 5 की उपधारा (3) में बताई गई रीति के अनुसार भरा जायेगा।

धारा 8—

परिषद् निधि

(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन तथा कार्यों के सम्पादन के संबंध में परिषदों के निमित्त परिषद् के पास एक निधि रहेगी।

(2) परिषद् की निधि में निम्नलिखित होंगे:—

- (क) इण्डियन सेंट्रल शुगर केन कमेटी द्वारा दिया गया अनुदान, यदि कोई हो ;
- (ख) राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान, यदि कोई हो ;
- (ग) उन दरों के अनुसार जो नियत किये जायें, चीनी की फैक्टरियों, ³[गुड़, राब या खण्डसारी शक्कर बनाने वाली इकाइयों] तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों द्वारा दिया गया अंशदान ; और
- (घ) अन्य कोई धनराशि, जो राज्य सरकार इसे दिलाये।

⁴धारा 8—क

परिषद् का अतिक्रमण

यदि किसी समय राज्य सरकार का परिषद् के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि परिषद् ने इस अधिनियम के अधीन अपने किसी कृत्य का निर्वहन और कर्तव्य का पालन करने में जानबूझ कर व्यतिक्रम किया है तो वह विज्ञप्ति द्वारा परिषद् का ऐसी अवधि के लिये जो विनिर्दिष्ट की जाय, अतिक्रमण कर सकती है, और अतिक्रमण की अवधि में परिषद् के कृत्यों का निर्वहन और कर्तव्यों का पालन करने के लिये ऐसा प्रबन्ध करेगी जैसा वह उचित समझे।]

¹ उ०प्र० अधिनियम सं० 7, 1974 की धारा 4 (ख) (1) द्वारा रखी गयी एवं दिनांक 21.12.1973 से प्रवृत्त।

² उ०प्र० अधिनियम सं० 7, 1974 की धारा 4 (ख) (2) द्वारा रखा गया एवं दिनांक 21.12.1973 से प्रवृत्त।

³ उ०प्र० अधिनियम सं० 3, 1960 की धारा 6 द्वारा अन्तर्विष्ट एवं दिनांक 30.01.1960 से प्रवृत्त।

⁴ उ०प्र० अधिनियम सं० 10, 1976 की धारा 3 द्वारा अन्तर्विष्ट एवं दिनांक 17.09.1975 से प्रवृत्त।

धारा 9—

चीनी कमिश्नर तथा गन्ना कमिश्नर

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार—

(क) चीनी कमिश्नर; तथा

(ख) गन्ना कमिश्नर,

की नियुक्ति कर सकती है, जो इस अधिनियम के अधीन अथवा द्वारा लगाये गये कर्तव्यों का पालन तथा प्राप्त सभी अधिकारों का प्रयोग करेंगे:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम में कोई भी बात राज्य सरकार को एक ही व्यक्ति को चीनी कमिश्नर तथा गन्ना कमिश्नर के पद पर नियुक्त करने से न रोकेंगी।

¹ धारा 10—

अतिरिक्त, उप अथवा सहायक गन्ना/चीनी कमिश्नर

राज्य सरकार, किसी व्यक्ति या किसी सरकारी अधिकारी को अतिरिक्त, उप अथवा सहायक गन्ना कमिश्नर या अतिरिक्त, उप अथवा सहायक चीनी कमिश्नर नियुक्त या नामोद्दिष्ट कर सकती है।]

धारा 11—

निरीक्षक

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त राज्य सरकार किसी व्यक्ति को निरीक्षक के रूप में नियुक्त अथवा सरकार के ऐसे अधिकारियों को पदयुक्त, जिन्हें वह उचित समझे, ऐसी स्थानिक सीमाओं के निमित्त जो उन्हें अभ्यर्पित (Assigned) की जाय, कर सकती है।

(2) निरीक्षक इस अधिनियम के अधीन अथवा द्वारा लगाये गये कर्तव्यों का पालन तथा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेगा।

अध्याय 3

गन्ने की पूर्ति या खरीद

धारा 12—

आवश्यकताओं का अनुमान

(1) गन्ना कमिश्नर, धारा 15 के प्रयोजनों के लिये आज्ञा के द्वारा फैक्टरी के अध्यासी (Occupier) को यह आदेश दे सकता है कि वह आज्ञा में निर्दिष्ट रीति में तथा निर्दिष्ट दिनांक तथा गन्ने के उस अनुमानित परिमाण को उसे बतलावे, जो फैक्टरी की पेराई के ऐसे मौसम ²[या पेराई के मौसमों] के लिये अपेक्षित होगा, जो आज्ञा में निर्दिष्ट किये जाएं।

(2) गन्ना कमिश्नर उक्त अनुमानित परिमाण की परीक्षा करेगा और ऐसे परिष्कार के साथ, जिसे वह करे, उसे प्रकाशित करेगा।

(3) उपधारा (2) के अनुसार प्रकाशित अनुमानित परिमाण ऐसे प्राधिकार द्वारा, जो नियत किया जाय, पुनरालोकित (Revised) किया जा सकता है।

धारा 13—

गन्ना उत्पादकों व गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति या समितियों का रजिस्टर

(1) फैक्टरी का अध्यासी नियत किए गए प्रकार से उन सभी गन्ना उत्पादकों व गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों या समिति का रजिस्टर रखेगा, जो कि उक्त फैक्टरी को गन्ना बेचेगी।

(2) राज्य सरकार नियमों द्वारा निम्न प्रयोजनों को नियत कर सकती है—

(क) रजिस्टर में दर्ज सूत्रों (Entries) को सही करना तथा नये सूत्रों को आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाना;

(ख) इस प्रकार रजिस्टर में सही किए गए अथवा बढ़ाये गये सूत्रों के संबंध में मूल्य निश्चित करना तथा उक्त मूल्य के भुगतान की प्रक्रिया को नियत करना;

(ग) निर्धारित मूल्य पर रजिस्टर में दर्ज सूत्रों की प्रतिलिपि देने की व्यवस्था करना।

धारा 14— पैमायश इत्यादि का अधिकार

(1) राज्य सरकार धारा 15 के प्रयोजनों के लिये आज्ञा द्वारा निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकती है—

(क) किसी फैक्टरी के निमित्त गन्ने की पूर्ति के हेतु सुरक्षित किये जाने वाले अथवा अभ्यर्पित किये जाने वाले क्षेत्र की पैमायश और ऐसे पैमायश के व्यय की फैक्टरी के अध्यासी से वसूली;

(ख) उक्त पैमायश के प्रयोजनों के निमित्त किसी अधिकारी की नियुक्ति, उसके कर्तव्य तथा अधिकार;

¹ उ०प्र० अधिनियम सं० 4, 1964 की धारा 4 द्वारा रखा गया एवं 12.02.1964 से प्रवृत्त।

² उ०प्र० अधिनियम सं० 21, 1956 की धारा 2 द्वारा रखे गये एवं 23.06.1956 से प्रवृत्त।

- (ग) प्रक्रिया, जिसके अनुसार उक्त पैमायश की जायगी ; और
 (घ) खंड (ख) के अनुसार नियुक्त अधिकारी की क्षेत्र में भूमि के स्वामियों अथवा अध्यासियों द्वारा दी जाने वाली सहायता और सुविधायें ;
 (ड.) ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक विषय, जो इस प्रयोजन के लिये आवश्यक या वांछनीय हों।
 (2) उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसार फैक्टरी के अध्यासी द्वारा देय धनराशि अध्यासी से मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जायगी।

धारा 15—

सुरक्षित क्षेत्रों तथा अभ्यर्पित क्षेत्रों का प्रख्यापन

धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन दी हुई आज्ञा पर बिना विपरीत प्रभाव डाले—

(1) ¹ [एक या एकाधिक पेराई के मौसम या मौसमों के भीतर, जो निर्दिष्ट किये जाये] धारा 16 के उपबन्धों के अनुसार फैक्टरी को गन्ने की पूर्ति के प्रयोजन से गन्ना कमिश्नर, उस रीति से, जो नियत की जाय, फैक्टरी तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति के परामर्श के पश्चात्—

- (क) किसी भी क्षेत्र को (जिसे यहां पर आगे चल कर सुरक्षित क्षेत्र कहा गया है) सुरक्षित कर सकता है
 (ख) किसी क्षेत्र को (जिसे यहां पर आगे चल कर अभ्यर्पित क्षेत्र कहा गया है।) अभ्यर्पित कर सकता है तथा किसी भी समय उसी प्रकार ऐसी आज्ञा को निरस्त कर सकता है अथवा इस प्रकार सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित क्षेत्र की चौहद्दी में परिवर्तन कर सकता है।

(2) यदि कोई क्षेत्र किसी फैक्टरी के लिये सुरक्षित क्षेत्र प्रख्यापित कर दिया गया हो तो, फैक्टरी के अध्यासी (Occupier) को, यदि गन्ना कमिश्नर ऐसा आदेश दे, उक्त क्षेत्र में उत्पन्न सभी गन्ने को, जो बिक्री के लिये फैक्टरी को प्रस्तुत किया जाय, खरीदना पड़ेगा।

(3) यदि कोई क्षेत्र किसी फैक्टरी के लिये अभ्यर्पित (Assigned) क्षेत्र प्रख्यापित कर दिया गया हो, तो उक्त फैक्टरी के अध्यासी को उक्त क्षेत्र में उत्पन्न और बिक्री के लिये फैक्टरी की प्रस्तुत गन्ने का ऐसा परिमाण, जिसे गन्ना कमिश्नर निश्चित करे, खरीदना पड़ेगा।

(4) उपधारा (1) के अन्तर्गत गन्ना कमिश्नर द्वारा पारित आज्ञा की अपील राज्य सरकार के पास होगी।

धारा 16—

सुरक्षित तथा अभ्यर्पित क्षेत्रों में गन्ने की पूर्ति तथा खरीद का विनियमन

(1) राज्य सरकार पूर्ति को बनाये रखने के लिए आज्ञा द्वारा—

- (क) किसी सुरक्षित या अभ्यर्पित क्षेत्र में गन्ने के वितरण, बिक्री अथवा खरीद का ; तथा
 (ख) सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित क्षेत्र से भिन्न अन्य किसी क्षेत्र में गन्ने की खरीद का ; विनियमन कर सकती है।

(2) उपर्युक्त अधिकारों की व्यापकता को बाधित न करते हुए ऐसी आज्ञा में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है:—

- (क) गन्ने का परिमाण, जिसे प्रत्येक गन्ना उत्पादक या गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति या ऐसे क्षेत्र में फैक्टरी को देगी, जो उक्त फैक्टरी के लिये सुरक्षित या अभ्यर्पित किया गया हो ;
 (ख) वह रीति जिसके अनुसार सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित क्षेत्र में उत्पन्न गन्ना उस फैक्टरी द्वारा, जिसके लिए उक्त क्षेत्र सुरक्षित हो अथवा अभ्यर्पित हो, खरीदा जायगा तथा वह परिस्थिति जिसमें गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति से भिन्न किसी अन्य के द्वारा गन्ना उत्पादक का गन्ना नहीं खरीदा जायगा ;
 (ग) उस फैक्टरी के अध्यासी अथवा प्रबंधक द्वारा जिसके निमित्त बिक्री के लिए प्रस्तुत गन्ना खरीदने के वास्ते कोई क्षेत्र सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित किया गया हो, निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध के आकार, नियम तथा शर्तें ;
 (घ) परिस्थितियां जिनमें निम्नलिखित के लिये अनुज्ञा दी जा सकती है—

(1) उस फैक्टरी से जिसके लिये क्षेत्र सुरक्षित या अभ्यर्पित किया गया हो, भिन्न किसी अन्य फैक्टरी ² [गुड, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई] अथवा किसी व्यक्ति द्वारा किसी सुरक्षित या अभ्यर्पित क्षेत्र में उत्पन्न गन्ने की खरीद ;

(2) उस फैक्टरी से जिसके लिये क्षेत्र सुरक्षित या अभ्यर्पित किया गया हो, भिन्न किसी अन्य फैक्टरी ³ [गुड, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई] अथवा किसी व्यक्ति के हाथ किसी सुरक्षित या अभ्यर्पित क्षेत्र में उत्पन्न गन्ने की बिक्री ;

¹ उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1956 की धारा 3 द्वारा रखे गये एवं दिनांक 23.06.1956 से प्रवृत्त। ² उ0प्र0 अधिनियम सं0 4, 1964 की धारा 5 (1) द्वारा रखा गया एवं दिनांक 12.02.1964 से प्रवृत्त। ³ उ0प्र0 अधिनियम सं0 4, 1964 की धारा 5 (2) द्वारा रखा गया एवं दिनांक 12.02.1964 से प्रवृत्त।

(ड.) ऐसे आनुषंगिक तथा पारिणामिक मामले, जो इस प्रयोजन के लिये आवश्यक तथा वांछनीय प्रतीत हों।

धारा 17—

गन्ने के मूल्य की अदायगी

¹[(1) फैक्टरी का अध्यासी अपने द्वारा खरीदे गये गन्ने के मूल्य का शीघ्र भुगतान करने की ऐसी व्यवस्था करेगा जो नियत की जाय।]

(2) गन्ना पाने पर फैक्टरी का अध्यासी ऐसे दिये गए गन्ने के मूल्य व सम्बन्धित धनराशियों की तुरन्त अदायगी का उत्तरदायी होगा। ²[X X X]

(3) जब उपधारा (2) के अधीन उत्तरदायी व्यक्ति गन्ना पाने के दिनांक से 15 दिन से अधिक अवधि तक मूल्य की अदायगी न करे तो वह गन्ना पाने के दिनांक से 7 ½ प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से ब्याज भी देगा, किन्तु किसी भी मामले में गन्ना कमिश्नर राज्य सरकार की स्वीकृति से यह आदेश दे सकता है कि कोई भी ब्याज न दिया जायगा अथवा उस कम की हुई दर से दिया जायगा, जिसे वह निश्चित करे।

³[प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रतिबन्धात्मक खण्ड के प्रारम्भ होने के पश्चात् खरीदे गये गन्ने के मूल्य की अदायगी न करने के सम्बन्ध में अंक '7 ½' के स्थान पर अंक '12' रखा गया समझा जायगा।]

(4) गन्ना कमिश्नर कलेक्टर को अपने हस्ताक्षर से एक प्रमाण पत्र भेज देगा, जिसमें अध्यासी द्वारा देय गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि ब्याज के सहित, यदि कोई देय हो, निर्दिष्ट होगा और ऐसे प्रमाण— पत्र के प्राप्त होने पर कलेक्टर उक्त अध्यासी से प्रमाण—पत्र में निर्दिष्ट धनराशि की वसूली की कार्यवाही उसी प्रकार करेगा, मानो यह धनराशि मालगुजारी की बकाया हो।

⁴[परन्तु यह कि इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी यह विधिमान्य होगा कि गन्ना आयुक्त द्वारा वसूली प्रमाण—पत्र जारी किये जाने से पूर्व अथवा पश्चात्, किन्तु वसूली कार्यवाहियां पूरा किये जाने के पूर्व किसी भी समय यह पाया जाता है कि सम्बन्धित डिफाल्टर फैक्ट्री के कंपनी के स्वामी ने ऐसे किसी सहायक कंपनी, एसोसियेट कम्पनी या अन्य कम्पनी को किसी विधिमान्य व्यवस्था के अधीन कोई ऋण दिया हो या विनिधान किया गया हो, जो कि चीनी विनिर्माण में संलग्न हो या संलग्न न हो और जिसको किसी संविदा के अधीन कोई धनराशि, राज्य सरकार के किसी विभाग अथवा किसी निगम अथवा परिषद् अथवा किन्हीं सांविधिक नियमों के अधीन गठित किसी अन्य संस्था से प्राप्त की जानी हो, राज्य सरकार गन्ना कृषकों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ, ऋण या विनिधान की धनराशि अथवा शेष गन्ना बकाया धनराशि के समतुल्य धनराशि को समपद्धत कर सकती है और अग्रतर कार्यवाही करने हेतु गन्ना आयुक्त को आवश्यक अनुदेश दे सकती है।

स्पष्टीकरण— उपर्युक्त 'परन्तुक' में प्रयुक्त शब्द "कम्पनी", "सहायक कम्पनी", या "एसोसियेट कम्पनी" के वही अर्थ होंगे, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2013) में क्रमशः उनके लिए समानुद्देशित है।]

⁷[(5) (क) पूर्ववर्ती उपधाराओं के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि फैक्टरी का स्वामी या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसका फैक्टरी के कार्यकलापों पर नियंत्रण हो अथवा तदर्थ सक्षम कोई अन्य व्यक्ति किसी बैंक के साथ कोई ऐसा अनुबंध करे जिसके अन्तर्गत बैंक उस फैक्टरी में उत्पादित या उत्पादित की जाने वाली ⁵[शक्कर या इथेनाल (सीधे गन्ने के रस या ख—भारी शीरे से उत्पादित) की प्रतिभूति पर] अग्रिम धनराशि देने के लिए सहमत हो, तो उक्त स्वामी या अन्य व्यक्ति उस अनुबंध में यह व्यवस्था करेगा कि ऐसे अग्रिम का कुल धनराशि का ⁶[एक ऐसा प्रतिशत जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से जो नियत की जाय, अवधारित किया जायगा] अलग रख दिया जायेगा और वह केवल गन्ना उत्पादकों अथवा उनकी सहकारी समितियों से अथवा उनके माध्यम से क्रय किये गये अथवा क्रय किये जाने वाले गन्ने के मूल्य और उस पर ब्याज और उसके सम्बन्ध में ऐसी समितियों की कमीशन के प्रतिदान के लिये उपलब्ध रहेगा।

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक ऐसा स्वामी या अन्य व्यक्ति प्रत्येक ऐसे अनुबंध की एक प्रति उस दिनांक से जब वह किया जाय, एक सप्ताह के भीतर कलेक्टर को भेजेगा।]

¹ उ०प्र० अधिनियम सं० 4, 1964 की धारा 6 द्वारा रखा गया एवं दिनांक 12.02.1964 से प्रवृत्त। ² उ०प्र० अधिनियम सं० 7, 1974 की धारा 5 (क) द्वारा निकाले गये एवं दिनांक 21.12.1973 से प्रवृत्त। ³ उ०प्र० अधिनियम सं० 28, 1974 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 30.08.1974 से प्रवृत्त। ⁴ उ०प्र० अधिनियम सं० 38, 2021 की धारा 2 द्वारा रखा गया एवं दिनांक 27.12.2021 से प्रवृत्त। ⁵ उ०प्र० अधिनियम सं० 23, 2008 की धारा 3 द्वारा रखा गया एवं दिनांक 29.08.2008 से प्रवृत्त। ⁶ उ०प्र० अधिनियम सं० 7, 1974 की धारा 5 (ख) द्वारा रखा गया और सदैव से रखा गया समझा जाय। ⁷ उ०प्र० अधिनियम सं० 2, 1972 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 30.12.1971 से प्रवृत्त।

धारा-18

¹[गन्ना के क्रय पर अंशदान

(1) किसी फैक्ट्री या किसी गुड़, राब या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई के अधिभोगी द्वारा किसी फैक्ट्री या किसी गुड़, राब या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई द्वारा क्रय किये गये प्रत्येक मन गन्ना के लिए एक अंशदान संदत्त किया जायेगा:-

(क) जहां क्रय, किसी गन्ना उत्पादक-सहकारी समिति के माध्यम से किया जाय, वहां अंशदान, गन्ना उत्पादन समिति एवं परिषद् को उसकी पूँजी/निधि में ऐसे अनुपात में संदेय होगा जैसा कि राज्य सरकार घोषित करे, तथापि परिषद् को संदेय हिस्सा पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा; और

(ख) जहां क्रय, प्रत्यक्षतः गन्ना उत्पादक से किया जाय वहाँ निधि में अंशदान, परिषद् को संदेय होगा: किन्तु प्रतिबंध यह है कि किसी फैक्ट्री एवं किसी गुड़, राब या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई के लिए अंशदान की भिन्न-भिन्न दरें, विहित की जा सकती हैं:

किन्तु प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सीमित प्रयोजन की दृष्टि से ऐसे अंशदान का पूर्णतः या आंशिक रूप में परिहार कर सकती है;

(2) उप-धारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन संदेय अंशदान, यथाविहित रूप में अनधिक ऐसे दरों पर होगा जिस दर पर निधि में अंशदान, खण्ड (क) के अधीन परिषद् को संदेय हो;

(3) गन्ना मूल्य के लिए लागू भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूली सहित भुगतान, ब्याज एवं वसूली से संबंधित उपबन्ध, उपधारा (1) के अधीन अंशदान का भुगतान और उसकी वसूली के लिए, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।]

धारा 19- फैक्ट्रियों में प्रयोगार्थ गन्ने के विभेदों को अनुपयुक्त प्रख्यापित करने का अधिकार-

(1) राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकती है कि-

(क) विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र में उत्पन्न गन्ने का कोई विभेद उक्त क्षेत्र में स्थित किसी फैक्टरी या सभी फैक्ट्रियों के लिये अनुपयुक्त है;

(ख) ऐसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र में उत्पन्न किसी भी विभेद का पेड़ी वाला गन्ना (Ratoon cane) उक्त क्षेत्र में स्थित किसी या सभी फैक्ट्रियों में प्रयोग के लिये अनुपयुक्त है; और

(ग) ऐसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट क्षेत्र के किसानों में वितरण के लिये किसी विभेद के गन्ने का बीज अनुपयुक्त है।

(2) उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति कलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर के पश्चात् और पहली सितम्बर से पूर्व जारी की जायेगी।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन किसी विभेद के गन्ने का बीज जब उस क्षेत्र के किसानों में वितरण के लिए अनुपयुक्त प्रख्यापित कर दिया जाय तो फैक्टरी का अध्यासी या उसकी ओर से काम करने वाला कोई व्यक्ति अथवा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति इस विभेद अथवा ऐसे विभेदों के बीज को किसी भी व्यक्ति को, गन्ना उत्पादकों अथवा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा किसी भी क्षेत्र में प्रयोग करने के लिये वितरित न करेगी।

(4) जब किसी भी विभेद का गन्ना अथवा पेड़ी का गन्ना फैक्टरी में प्रयोग के लिये उपधारा (1) के अधीन अनुपयुक्त प्रख्यापित कर दिया गया हो तो ऐसी फैक्टरी का अध्यासी या उसकी ओर से काम करने वाला कोई भी व्यक्ति या गन्ना उत्पादक अथवा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति इस विभेद का गन्ना न तो बोयेगी और न ऐसे विभेद के गन्ने की पेड़ी रक्खेगी।

अध्याय 4

विविध

धारा 20- गन्ने की बिक्री पर कर²[***]

धारा 21- ³[धारा 22 के प्रयोजनों के लिए] अध्यासी का अवधारण-(1) जब किसी [फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई]⁴ का अध्यासी कोई फर्म अथवा [कम्पनी से अन्यथा]⁵ अथवा व्यक्तियों का अन्य समवाय (Association) हो तो उसके साझेदारों अथवा सदस्यों में से किसी एक या उससे अधिक व्यक्ति पर इस अधिनियम के अधीन उन अपराधों में से किसी के लिए भी, जिसके लिये [फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई]⁴ का अध्यासी दण्डनीय हो, अभियोग चलाया जा सकता है तथा उसे दण्ड दिया जा सकता है:

¹ उ०प्र० अधिनियम सं० 8, 2019 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित एवं दिनांक 12.06.2019 से प्रवृत्त। ² उ०प्र० अधिनियम सं० 22, 1956 की धारा 9(1) द्वारा निरसित किया गया। ³ उ०प्र० अधिनियम सं० 7, 1974 की धारा 6(क) द्वारा रखे गये और सदैव से रखे गये समझे जायें। ⁴ उ०प्र० अधिनियम सं० 3, 1960 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित। ⁵ उ०प्र० अधिनियम सं० 7, 1974 की धारा 6(ख) द्वारा रखे गये और सदैव से रखे गये समझे जायें।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि फर्म अथवा समवाय (association) कलेक्टर को इस बात की नोटिस दे सकती है कि उसने अपने किसी एक सदस्य को ²[इस उपधारा] के प्रयोजनों के लिये ¹[फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई] का अध्यासी नामांकित किया है और ऐसा व्यक्ति तब तक ²[इस उपधारा] के प्रयोजनों के लिए अध्यासी समझा जायगा जब तक कि उसके नामांकन के निरसन की नोटिस कलेक्टर को प्राप्त न हो जाय अथवा जब तक फर्म अथवा समवाय में उनकी साझेदारी अथवा सदस्यता समाप्त न हो जाय।

(2) जब ¹[फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई] का अध्यासी कोई कम्पनी हो तो उसके किसी एक या एक से अधिक संचालक (director) पर अथवा निजी कम्पनी हो तो उसके किसी हिस्सेदार पर, किसी भी अपराध के लिये, जिसके लिए ¹[फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई] का अध्यासी दंडनीय हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अभियोग चलाया जा सकता है और उसे दंड दिया जा सकता है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कम्पनी कलेक्टर को इस बात की नोटिस दे सकती है कि उसने अपने किसी संचालक को अथवा निजी कम्पनी की दशा में, किसी हिस्सेदार को ²[इस उपधारा] के प्रयोजनों के लिये ²[इस उपधारा] का अध्यासी नामांकित किया है और ऐसा संचालक अथवा हिस्सेदार ²[इस उपधारा] के प्रयोजनों के लिए ¹[फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई] का अध्यासी नामांकित किया गया है और ऐसा संचालक अथवा हिस्सेदार ²[इस उपधारा] के प्रयोजनों के लिये ¹[फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई] का अध्यासी समझा जायगा जब तक कि उसके नामांकन के निरसन की नोटिस कलेक्टर को प्राप्त न हो जाय अथवा जब तक उसकी संचालकता अथवा हिस्सेदारी समाप्त न हो जाय।

धारा 22—

शास्तियां

यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अथवा उसके अधीन बने नियम अथवा दी गयी आज्ञा के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है तो वह कारावास के दंड का, जो 6 महीने तक हो सकता है अथवा अर्धदंड का, जो ³[एक लाख रुपये] से अधिक न होगा अथवा दोनों का भागी होगा और यदि ऐसा उल्लंघन करता रहे तो प्रत्येक उस दिन के लिये, जब उल्लंघन करे, वह ऐसे अधिक अर्धदंड का भागी होगा, जो [पांच हजार रुपये]⁴ से अधिक न होगा।

⁵[धारा 22—क—इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों का अन्वेषण करने हेतु कतिपय अधिकारियों की शक्ति—(1) राज्य सरकार द्वारा सामान्य रूप से मामलों के या मामलों के किसी वर्ग के संबंध में इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से सशक्त निरीक्षक, जिस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग ऐसा अधिकारी करता है उसकी सीमा के भीतर, किये गये, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अन्वेषण कर सकता है।

(2) कोई ऐसा अधिकारी ऐसे अन्वेषण के सम्बन्ध में उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिनका प्रयोग पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 12 के उपबन्धों के अधीन किसी संज्ञेय अपराध के लिए कर सकता है।

धारा 22—ख— कतिपय विभागों के अधिकारियों का अपराधों की रिपोर्ट करने और निरीक्षक को सहायता देने का कर्तव्य— पुलिस, राजस्व और आबकारी विभाग का प्रत्येक अधिकारी निरीक्षक को इस अधिनियम के उपबन्धों के सभी उल्लंघनों की, जो उसकी जानकारी में आये, तुरन्त सूचना देने और निरीक्षक द्वारा अनुरोध किये जाने पर इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में उसे सहायता देने के लिये बाध्य होगा।]

धारा 23—

कार्यवाहियों का निवेशन (institution)

(1)—इस अधिनियम के अधीन गन्ना कमिश्नर अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा उनके अधिकार के अधीन परिवाद (complaint) किये बिना कोई अभियोग निवेशित (instituted) नहीं किया जायेगा।

(2)— इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियुक्त द्वारा प्रार्थना—पत्र दिये जाने पर गन्ना कमिश्नर अथवा गन्ना कमिश्नर की पूर्व सहमति से जिला मजिस्ट्रेट ऐसा प्रशमन शुल्क (composition fee) लेकर, जो उस पर ऐसे अपराध के लिये लगाये जा सकने वाले अर्थ—दंड से अधिक न होगा, किसी भी स्तर पर उक्त अपराध का प्रशमन (compound) कर सकता है।

(3) कोई भी न्यायालय जो द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न हो, इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बने किसी नियम अथवा दी गयी किसी आज्ञा के विरुद्ध किसी अपराध का विचार न कर सकेगा।

¹ उ०प्र० अधिनियम सं० 3, 1960 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित। ² उ०प्र० अधिनियम सं० 7, 1974 की धारा 6(ग) द्वारा रखे गये और सदैव से रखे गये समझे जायं। ³ उ०प्र० अधिनियम सं० 5, 2021 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित एवं दिनांक 31.12.2020 से प्रवृत्त। ⁴ उ०प्र० अधिनियम सं० 33, 2007 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित एवं दिनांक 20.11.2007 से प्रवृत्त। ⁵ उ०प्र० अधिनियम सं० 34, 1976 की धारा 3 द्वारा बढ़ायी गयी एवं दिनांक 18.11.1976 से प्रवृत्त।

धारा 24—

मैजिस्ट्रेट के विशेषाधिकार

कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 (Code of Criminal Procedure, 1898) की धारा 32 में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में विशेष रूप से अधिकृत और इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनें नियम अथवा दी गई आज्ञा के अधीन किसी मामले की सुनवाई करने वाले ¹[यथास्थिति, मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट या अपर मुख्य मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट] के लिये यह वैध होगा कि इस अधिनियम के अधीन अपराधी निर्णीत किये गये किसी व्यक्ति पर ऐसा अर्थदंड लगाये, जो ²[एक लाख रुपये] से अधिक न होगा।

धारा 25—

इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों का संरक्षण

(1) कोई भी वाद, अभियोग अथवा अन्य विधिक कार्यवाही (suit, prosecution or other legal proceeding) किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन दी गयी किसी आज्ञा अथवा बनाए गए किसी नियम के अनुसार सद्भावना से किए गए अथवा किये जाने वाले किसी कार्य के लिए न लायी जा सकेगी।

(2)— ऐसे कार्य के कारण, जो इस अधिनियम के अधीन दी गयी आज्ञा या बनाये गये नियम के अनुसार सद्भावना से किया गया हो या जिसके करने का विचार हो, हुई क्षति या होने वाली क्षति के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या अन्य लिपिक कार्यवाही नहीं लायी जा सकेगी।

धारा 26—

निवर्तन तथा अपवाद

यू0पी0 शुगर फैक्टरीज कन्ट्रोल ऐक्ट, 1938 (जिसे यहां पर आगे चल कर इस धारा में तथा धारा 27 में उक्त ऐक्ट के नाम से अभिदिष्ट किया गया है,) एतद्वारा निवर्तित (repeal) किया जाता है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यू0पी0 जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1904 ई0 की धारा 6 तथा 24 की सामान्य प्रयुक्ति (general application) को बिना बाधित किये, निवर्तित विधायनों तथा पुनर्विहित विधायनों (enactment[repealed and re-enacted]) के अधीन नियुक्तियों, विज्ञापितियों, आज्ञाओं इत्यादि (appointments, notifications[orders, etc.]) निवर्तन और जारी रखने के सम्बन्ध में यह निवर्तन निम्नलिखित पर विपरीत प्रभाव न डालेगा और न अन्य प्रकार से उन्हें प्रभावित करेगा:—

(क) उक्त ऐक्ट द्वारा प्राप्त अधिकारों के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी तामील किए गए नोटिस, दी गई आज्ञा अथवा दिए गए अनुज्ञापत्र (permit) लाइसेंस अथवा स्वीकृति (sanction) के व्यापार (operation):

(ख) उक्त ऐक्ट के अधीन उसके निवर्तन के पूर्व निर्धारित या लगाये गये किसी अबवाब, कर, शुल्क या अन्य शास्ति (penalty) की अथवा उसके निवर्तन से पूर्व की अवधि के सम्बन्ध में किसी अबवाब, कर, शुल्क या शास्ति की निर्धारित या लगाने के अधिकार की या उसके अधीन की गयी किसी बात या किसी ऐसे बात की, जिसके करने की अनुज्ञा हो, अविकल वैधता (continued validity) और उक्त अबवाब, कर, शुल्क या शास्ति निर्धारित की या लगायी जा सकती है और उक्त कोई बात की जा सकती है मानो उक्त ऐक्ट निवर्तित नहीं किया गया हो;

(ग) उक्त ऐक्ट के अधीन संगठित बोर्ड या केन डेवलपमेंट कौंसिल का जारी रहना और जब तक कि इस अधिनियम के अधीन या इसके अनुसार इस प्रकार का बोर्ड या परिषद् संगठित न हो जाय, उक्त बोर्ड या केन डेवलपमेंट कौंसिल इस अधिनियम के अधीन उक्त बोर्ड या परिषद् द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले अधिकार, पालन किये जाने वाले कर्तव्य और किये जाने वाले कार्यों का पालन, प्रयोग तथा संपादन करेंगे; और

(घ) उक्त ऐक्ट के अधीन अथवा द्वारा प्राप्त किसी उन्मुक्ति (immunity), मुक्ति (exemption) अथवा रक्षा (protection) का जारी रहना:

प्रतिबन्ध यह भी है कि उक्त ऐक्ट के अधीन सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित रूप से प्रख्यापित कोई क्षेत्र, इस अधिनियम के अधीन जब तक कोई विपरीत आदेश न दिया जाय अथवा कोई ऐसी बात न की जाय या ऐसा कार्य न किया जाय जिससे वह अधिक्रान्त (supersede) हो जाय, उसी प्रकार जारी रहेगा मानो यह अधिनियम के अधीन प्रख्यापित किया गया हो।

¹ उ0प्र0 अधिनियम सं0 33, 2007 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित एवं दिनांक 20.11.2007 से प्रवृत्त।

² उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 2021 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित एवं दिनांक 31.12.2020 से प्रवृत्त।

धारा 27—

संक्रमण सम्बन्धी उपबन्ध

उक्त ऐक्ट से इस अधिनियम में संक्रमण सम्बन्धी उपबन्धों के कारण होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये राज्य सरकार सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके—

- (क) आदेश दे सकती है कि यह अधिनियम उस अवधि के भीतर, जो कि आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, उन अनुकूलनों के अधीन प्रभावशाली होगा जो परिष्कार, परिवर्द्धन अथवा परित्याग (modifications[additions or commissions) के रूप में आवश्यक अथवा अपयुक्त समझे जायें; तथा
- (ख) ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिये अन्य ऐसी अस्थायी व्यवस्था कर सकती है, जिन्हें वह आवश्यक अथवा उचित समझे:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के आरम्भ के बारह मास के पश्चात् कोई ऐसी आज्ञा नहीं दी जायगी।

धारा 28—

नियम बनाने का अधिकार

(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुए ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये व्यवस्था की जा सकती है—

- (क) ¹[परिषद्] की संस्थापना तथा संगठन;
- (ख) ¹[परिषदों] का विघटन तथा पुनःसंगठन तथा अन्य आनुषंगिक विषय;
- (ग) परिषद् के सदस्यों को हटाने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;
- (घ) ¹[परिषद्] द्वारा कार्य के परिचालन की व्यवस्था;
- (ङ) धारा 6 के अधीन परिषद् की वार्षिक बैठक बुलाने की रीति, उस बैठक में किया जाने वाला कार्य और उसके करने की रीति;
- (च) रीति तथा रूप जिस प्रकार धारा 8 के अधीन परिषद् के अधीनस्थ निधि रखी जायगी तथा ऐसी निधि का प्रयोग तथा उससे अदायगी;
- (छ) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये ¹[परिषदों] को राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले आदेश;
- (ज) चीनी कमिश्नर तथा गन्ना कमिश्नर के कर्तव्य, अधिकार तथा कार्य;
- (झ) धारा 11 के अधीन नियुक्त किये जाने वाले निरीक्षकों की नियुक्ति और उनकी सेवाओं की अन्य शर्तों से सम्बद्ध विषय तथा उनके कर्तव्य, अधिकार और कार्य;
- (ञ) अवधि, जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन उन मामलों में प्रार्थना-पत्र तथा अपीलें प्रस्तुत की जायें, जिनके विषय में यहां पर विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गयी हो;
- (ट) इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्रों तथा अपीलों के संबंध में दिया जाने वाला शुल्क;
- (ठ) ²[X X X]
- (ड) इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा अथवा उसके अधीन किए जाने वाले अनुबन्ध (agreement) का आकार-पत्र तथा अनुबन्ध की शर्तें तोड़ने पर शास्ति (penalty);
- ³[(ढ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये परिषदों का संगठन, संचालन, प्रबन्ध, पर्यवेक्षण तथा लेखा परीक्षा तथा उनके कर्मचारियों एवं वित्तीय व्यवस्था (finances) पर नियंत्रण यू0पी0 केन यूनियन फेडरेशन तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों की मान्यता के संबंध में शर्तें।]
- (ण) गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों द्वारा गन्ना दिये जाने पर वह दर और रीति, जिस पर और जिसके अनुसार उक्त समिति को कमीशन दिया जायेगा;
- (त) गन्ने की ठीक तौलाई तथा तौलाई के लिये सुविधाओं तथा तौलाई की जांच और तौलाई के समय के संबंध में व्यवस्था;
- (थ) फैक्टरियों को आने वाले मार्गों तथा गन्ना लाने वाली गाड़ियों के रुकने के स्थान के लिये तथा गाड़ीवानों और बैलों के लिये छाया, स्थान तथा बैलों के लिये नांदों और संबद्ध विषयों की व्यवस्था;
- (द) उन झगड़ों के संबंध में—

(1) ⁴[जो गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति के कार्य के विषय में संस्था और फैक्टरी या गन्ना उत्पादक और फैक्टरी के बीच में हो;]

¹ उ0प्र0 अधिनियम सं0 17, 2006 की धारा 4 द्वारा "बोर्ड" शब्द निकाल दिया गया एवं दिनांक 30.05.2006 से प्रवृत्त। ² उ0प्र0 अधिनियम सं0 7, 1974 की धारा 7 द्वारा निकाला गया एवं दिनांक 21.12.1973 से प्रवृत्त समझा जाए। ³ उ0प्र0 अधिनियम सं0 11, 1966 द्वारा रखा गया। ⁴ उ0प्र0 अधिनियम सं0 11, 1966 द्वारा रखा गया।

(2) जो संस्था या फैक्टरी द्वारा परिषद् के प्रति अंशदान की अदायगी के संबंध में परिषद् और गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों अथवा परिषद् और फैक्टरी अथवा परिषद् तथा गन्ना उत्पादक के बीच हों तथा अन्य किसी झगड़े के विषय में जो परिषद् के कार्य से सम्बद्ध हों;

गन्ना कमिश्नर के निर्णय के लिये या यदि वह आदेश दे तो मध्यस्थ निर्णय (arbitration) के लिये गन्ना कमिश्नर को भेजा गया अभिदेश, मध्यस्थों की नियुक्ति का प्रकार, गन्ना कमिश्नर अथवा मध्यस्थ के यहां अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया एवं गन्ना कमिश्नर अथवा मध्यस्थ या मध्यस्थों के निर्णय को कार्यान्वित करना;

(ध) विवरणों, नक्शों और रजिस्ट्रों तथा अन्य आकार-पत्रों का आकार-प्रकार, जिनका इस अधिनियम द्वारा अथवा इसको रखना अपेक्षित हो तथा ऐसे नक्शों, विवरणों और आकार-पत्रों की खाना पूरी करना;

(न) इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन विभिन्न प्रयोजनों के लिये प्रार्थना-पत्र का आकार तथा रीति जिसके अनुसार वे दिये जायेंगे;

(प) इस अधिनियम के अधीन अधिकार-क्षेत्र रखने वाले किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्तव्य तथा ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया; और

(फ) विषय, जिन्हें नियत करना है और जो नियत किये जायें।

(3) इस धारा के अनुसार बने नियम राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट दिनांक से लागू होंगे।

(4) लागू होने के तुरन्त पश्चात् ही होने वाले विधानमंडल के अधिवेशन में उपयुक्त सभी नियम प्रस्तुत किए जायेंगे और किसी नियम अथवा नियमों के विधानमंडल द्वारा अस्वीकृत, संशोधित अथवा बढ़ाये जाने पर लागू नियमावली को तदनुसार संशोधित कर दिया जायगा।